

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री महेन्द्र लोढा

निगरानी संख्या 13/17

तारीख रजू- 25/05/17

- 1- रूपनारायण पुत्र बजरंगा जाति जाट उम्र 50 साल निवासी तोड तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर।
- 2- मुरारी पुत्र बजरंगा जाति जाट उम्र 46 साल निवासी तोड तहसील खण्डार।
- 3- गिराज पुत्र बजरंगा जाति जाट उम्र 47 साल निवासी तोड तहसील खण्डार।
- 4- कैलाश पुत्र शंकर जाति जाट उम्र 55 साल निवासी तोड तहसील खण्डार।

—निगरानी गुजार (प्रार्थी)

बनाम

- 1- श्रीमति रोशन पत्नि सियाराम जाति जाट उम्र 43 साल निवासी ग्राम तोड तहसील खण्डार।
- 2- सरपंच ग्राम पंचायत कोसरा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर।

—अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 21/8/18

प्रार्थीगण ने यह निगरानी ग्राम पंचायत कोसरा के निर्णय दिनांक 05/04/13 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। जिसके द्वारा अप्रार्थीगण 2 ने अप्रार्थीगण 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है तथा निगरानीगुजार द्वारा निगरानी प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत कोसरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 05/04/13 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित होने पर तथा अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील निगरानी गुजार (प्रार्थीगण) ने निगरानी में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व जो आपत्ति नोटिस जारी किया गया है, जिसकी निगरानीकर्ता को कोई सूचना नहीं दी गई, यदि निगरानीकर्ता को सूचना होती तो वह आपत्ति आवश्यक रूप से जरूर करते। उक्त वाद आराजीयात के संबंध में माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0खण्ड) खण्डार जिला सवाई माधोपुर में भी पूर्व में वाद चला था। जिसमें माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0खण्ड) खण्डार जिला सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 17/10/2012 द्वारा वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है कि वह स्वयं 36x36 वर्ग फीट भूखण्ड के उत्तर में स्थित 9 फीट आम रास्ते की भूमि 36x36 वर्ग फीट भूखण्ड के अतिरिक्त सार्वजनिक चौक व ग्राम पंचायत की पड़त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण न करें तथा ग्राम वासियों के आवागमन में बाधा उत्पन्न न करें। निगरानीकर्ता द्वारा मकान निर्माण की स्वीकृति के आधार पर पट्टा जारी करवा लिया जो न्यायोचित नहीं है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे में कई कॉलम खाली पड़े हुए हैं, जिससे स्पष्ट है कि पट्टा अवैधानिक है, साथ ही वकील निगरानीगुजार द्वारा उक्त पट्टा दिनांक 05/04/13 निरस्त हेतु निवेदन किया गया।

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया है कि माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0खण्ड) खण्डार जिला सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 17/10/2012 द्वारा वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है कि वह स्वयं 36x36 वर्ग फीट भूखण्ड के उत्तर में स्थित 9 फीट आम रास्ते की भूमि 36x36 वर्ग फीट भूखण्ड के अतिरिक्त सार्वजनिक चौक व ग्राम पंचायत की पड़त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण न करें तथा ग्राम वासियों के आवागमन में बाधा उत्पन्न न करें। माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0खण्ड) खण्डार जिला सवाई माधोपुर द्वारा ग्राम पंचायत को कहीं भी पट्टे जारी करने हेतु पाबन्द नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पट्टा चाहने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन किया है तथा आवेदन पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार एक माह का आपत्ति नोटिस जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, साथ ही वकील अप्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा दिनांक 05/04/13 यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0खण्ड) खण्डार जिला सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 17/10/2012 द्वारा ग्राम पंचायत को आबादी भूमि में पट्टा जारी करने हेतु पाबन्द नहीं किया गया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार एक माह का आपत्ति नोटिस जारी कर पट्टा जारी किया गया है तथा उक्त पट्टे पर संरपच के साथ-साथ समस्त वार्ड पंच के भी हस्ताक्षर अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः अतः मेरे अभिमत में निगरानी अस्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी गुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत कोसरा द्वारा अप्रार्थी सं0 1 श्रीमति रोशन पत्नि सियाराम जाति जाट उम्र 43 साल निवासी ग्राम तोड तहसील खण्डार के पक्ष में जारी किया गया पट्टा दिनांक 05/04/13 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31-8-18 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर